न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 107/2025 राजस्व वाद

01. पोखर पुत्र श्री गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)। —— वादी

बनाम

01. सोहन लाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. प्रभुलाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. गोपाल लाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. गेना पुत्र नाथु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सुख लाल पुत्र पोखर बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. देवा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. तुलछा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. भोमा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादीगण की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07.07.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 ने सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा

श्री गेना गुर्जर आयु वयस्क निवासी— अलगवास त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 107/2025 राजस्व वाद

01. पोखर पुत्र श्री गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)। ––– वादी

बनाम

01. सोहन लाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. प्रभुलाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. गोपाल लाल पुत्र दीपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. गेना पुत्र नाथु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सुख लाल पुत्र पोखर बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. देवा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. तुलछा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. भोमा पुत्र गेना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश सिंह तंवर ––अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– ––प्रतिवादी संख्या 01 से 08
3. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 09

दिनांक– 07/07/2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 19/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 24.02.2025 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 दो को होने पर माह अप्रेल 2025 मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर रकबा 0.0253 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा, रकबा 0.0126 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा, रकबा 0.0063 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा एवं रकबा 0.0063 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 25.04.2025 को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 08 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने ने दिनांक 20.05.2025 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नहीं छोड़ेंगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 दो के विरुद्ध इस आशय की कार्यवाही की डिक्री पारित फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अलगवारा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी संख्या 01, 02, 06, 07, 08, ने उपस्थित होकर स्वय का कब्जा स्वंय हटाने पर सहमत होने का कथन किया व आदेशिका पर अंकन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 04 से 06 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 ने सरहद अलगवारा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

संशोधित आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – [illegible]

प्रकरण संख्या [illegible]/2025 राजस्व वाद

01. [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

—— वादी

बनाम

01. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. [illegible] पुत्र [illegible] गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. [illegible] पुत्र [illegible] बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. [illegible] पुत्र [illegible] गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. [illegible] पुत्र [illegible] गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. [illegible] पुत्र [illegible] गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–अलगवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश सिंह तंवर —–अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– —–प्रतिवादी संख्या 01 से 08
3. [illegible] सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 09

दिनांक– 07/07/2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व अलगवारा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 19/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक [illegible] को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 दो को होने पर माह अप्रेल 2025 मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर रकबा 0.0253 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा, रकबा 0.0126 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा, रकबा 0.0063 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा एवं रकबा [illegible] हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक [illegible] को उक्त आराजी पत्थरगढ़ी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने ने दिनांक 20.05.2025 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडकर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना . प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 दो

उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 दो के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , प्रतिवादी सख्या 01, 02, 06, 07, 08, ने उपस्थित होकर स्वय का कब्जा स्वंय हटाने पर सहमत होने का कथन किया व आदेशिका पर अंकन किया गया लेकिन प्रतिवादी सख्या 04 से 06 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 08 ने सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1832/550 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)